भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2411

जिसका उत्तर 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

बाढ़ की रोकथाम

2411. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए कोई दीर्घकालिक योजना है या बाढ़ आने के बाद ही बचाव और राहत कार्य किए जाने की योजना होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार नदियों से गाद निकालने के लिए कोई ठोस योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी क्षेत्र में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़, जिससे जान-माल की अपूरणीय क्षति होती है, के स्थायी समाधान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या समस्त बचाव कार्य और राहत सामग्री इसके लिए पर्याप्त नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (घ): बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है देश को लगभग हर साल विभिन्न स्तर पर आने वाली बाढ़ का सामना करना पड़ता है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार, बाढ़ प्रबंधन और भूमि कटाव - रोधी योजनाओं को तैयार और कार्यान्वित किया जाता है। केन्द्र सरकार संवदेनशील क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन हेतु तकनीकी मार्गदर्शन और संवर्धक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में अपना सहयोग प्रदान करती है।

बाढ़ सुरक्षा और बाढ़ प्रबंधन उपायों को व्यापक रूप से संरचनात्मक उपायों और गैर-संरचनात्मक उपायों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एकीकृत बाढ़ प्रबंधन दृष्टिकोण का उद्देश्य संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों के विवेकपूर्ण मिश्रण को अपनाना है ताकि किफायती लागत पर बाढ़ से हुए नुकसान के कारण हुए क्षति के संबंध में समुचित सुरक्षा प्रदान की जा सके।

बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को सुदृढ़ करने हेतु, राज्यों को बाढ़ नियंत्रण, भूमि कटाव रोधी, जल निकासी विकास, समुद्री क्षरण रोधी आदि से संबंधित कार्यों में केंद्रीय सहायता प्रदान करने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा XI और XII योजनाओं के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) को लागू किया गया था, जिसे बाद में 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन

और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)" के एक घटक के रूप में जारी रखा गया और इसे बाद में 2021-22 से 2025-26 तक और बढ़ा दिया गया है।

गैर-संरचनात्मक उपायों के संबंध में, देश में बाढ़ पूर्वानुमान और प्रारंभिक बाढ़ चेतावनियों के कार्य के लिए केंद्रीय जल आयोग (सीडब्लयूसी) एक नोडल संगठन है। इस समय सीडब्लयूसी 340 पूर्वानुमान स्टेशनों (200 नदी स्तर पूर्वानुमान स्टेशनों और 140 बांध/बैराज प्रवाह पूर्वानुमान स्टेशनों) के लिए बाढ़ पूर्वानुमान जारी करता है। ये स्टेशन 23 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों के 20 प्रमुख नदी बेसिनों को कवर करते हैं। स्थानीय अधिकारियों को लोगों की निकासी की योजना बनाने और अन्य सुधारात्मक उपाय करने हेतु अधिक समय प्रदान करने के लिए, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्लयूसी) द्वारा पहचान किए गए बाढ़ पूर्वानुमान और प्रवाह पूर्वानुमान स्टेशनों पर 7-दिनों के अग्रिम बाढ़ पूर्वानुमान परामर्श हेतु वर्षा-बहाव गणितीय मॉडल के आधार पर बेसिन-वार बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया गया है।

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2022 में देशभर में एक समग्र रीति में जलग्रहण और जलाशयों के अतिरिक्त, नदियों में तलछट प्रबंधन के लिए एक व्यापक ढांच के रूप में एक राष्ट्रीय तलछट प्रबंधन ढांचा (एनएफएसएम) प्रकाशित किया गया है। इसमे राज्य सरकारों, अन्य मंत्रालयों, विभागों आदि को पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखते हुए कार्यनीतिक योजना बनाने और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता मिलेगी।

एफएमबीएपी की शुरूआत से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को एफएमबीएपी के अंतर्गत बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं को शुरू करने हेतु 692.75 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई है। एफएमबीएपी के एफएमपी घटक के तहत घाघरा और शारदा नदी की तीन बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं को 44.16 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है जिससे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले को लाभ प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में सभी प्रमुख नदियों को कवर करने वाले 44 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों (39 स्तर और 5 प्रवाह) का एक नेटवर्क मौजूद है।

आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के प्रयासों को सहयो्ग और आवश्यक लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकार वर्षा और बाढ़ सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान का आकलन करती है और भारत सरकार के अनुमोदित मानदंडों के अनुसार केन्द्र सरकार के पास पहले से उपलब्ध राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) मे से इसके लिए राहत सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में, अंतर-मंत्रालय केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर किए गए आंकलन के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*****